भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–04 / 2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

प्रदीप घोष, पिता–स्व0 लखन घोष एवं अन्य–02 .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

(1) रीना राना, पति–स्व0 दीपक कुमार राना एवं अन्य–02 तथा

(2) झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, चाकुलिया) .... विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
14.08.18	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता श्री प्रदीप घोष, (2) श्री समीर रंजन घोष दोनो के पिता–स्व0 लखन घोष, (3) श्री अजेम्बार घोष, पिता–स्व0 राय चरण घोष, निवासी ग्राम–केंडुकोचा, थाना–श्यामसुन्दरपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने रीना राना, पति–स्व0 दीपक कुमार राना, (2) श्री विश्वजीत राना, (3) श्री मनोज कुमार राना, दोनो के पिता–स्व0 दीपक कुमार राना, ग्राम–केंडुकोचा, थाना–श्यामसुन्दरपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा (4) झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, चाकुलिया), जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–103 R27 / 2017–18 / चाकुलिया में दिनांक–07 / 11 / 2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। उक्त के आलोक में उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–103 R27 / 2017–18 / चाकुलिया एवं नामान्तरण मुकदमा संख्या–366 / 2015–16 प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Sale of deed No.- 3227, दिनांक–05 / 03 / 1975 एवं Sale deed No.- 4080 दिनांक–28 / 11 / 2011 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा बताया गया हैं कि	

मौजा–केरूकोचा, थाना नं0–807, खाता नं0–44, प्लॉट नं0–418, रकवा–08 डिसमील भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, चाकुलिया में आवेदन किया था, जिसे अंचल अधिकारी, चाकुलिया ने अपने आदेश दिनांक–07/11/2017 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं। अपीलकर्त्ता बिक्रेता नाबालाक दिपक कुमार राना, पिता–श्री भूतेश्वर राना, (वैध अभिभावक), ग्राम–चाकुलिया, थाना–श्यामसुन्दरपुर से निबंधित बिक्री केवला संख्या–3227 दिनांक–05/03/1975 द्वारा क्रय किया गया हैं। आवेदक का कथन है कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा बिना जाँच–पड़ताल, स्थाल का निरीक्षण किये बिना तथा कागजात देखें बिना ही नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन को नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी बताया कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा दिनांक–07/11/2017 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पंजी–II मिलान किया, पाया की मौजा–केरूकोचा, खाता नं0–44, खेसरा नं0–418 में बिक्रेता के नाम पर रकवा शुन्य तथा आवेदक का दखल भी नही हैं।

द्वितीय पक्ष की और से दिनांक– 10/05/2018 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं। उनका कथन है कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित आदेश नियमानुसार हैं। यह वाद दायर करने के पहले अपीलकर्त्ता द्वारा धारा–144 Cr.P.C. के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, घाटशिला के समक्ष वाद दायर किया गया था। जिसमें वर्त्तमान अपीलकर्त्ता के विरूद्व vacate करने का आदेश पारित किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के पिता द्वारा 10 मई 1969 को खतियानी रैयत श्रीमती चान्दा दस्या से खरीदा हैं। और खरीद के पश्चात से ही उक्त भूमि पर तार का फैन्सींग किया गया है तथा एक कमरा वाला घर भी बना हुआ हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूमि पर दखल में नहीं रहें हैं जबकि नामान्तरण के लिए भूमि पर दखल होना आवश्यक हैं। यदि अपीलकर्त्ता का कोई सेल डीड था जो अपील आवेदन में उल्लेख है यह सिर्फ कागजी हस्तांतरण नामान्तरण के लिए काफी नही हैं। फिर भी यदि अपीलकर्त्ता चाहे तो प्रश्नगत भूमि को मापी कराकर साबुत पेश करें कि भूमि पर

उनका दखल कब्जा है। इस लिए अपीलकर्त्ता के अपील को रद्द किया जाय ओर अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, चाकुलिया का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–103 R27 / 2017–18 / चाकुलिया तथा नामान्तरण मुकदमा संख्या–366 / 2015–16 का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अधिकारी, चाकुलिया के द्वारा पारित नामान्तरण मुकदमा अभिलेख में संलग्न जाँच प्रतिवेदन, अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन, प्रतिवादी का कारण–पृच्छा तथा विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने के उपरान्त इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विन्दुओं पर **Finding** प्राप्त हुआ हैं :–

(1) मूल खतियानी रैयत श्रीमती मान्दा दास्य, पति–श्रीनिवास राना द्वारा दीपक कुमार राना, पिता–श्री भूतेश्वर राना को बिक्री केवाला संख्या–4080, दिनांक–10 / 05 / 1969 के माध्यम से कुल–0.15 एकड़ भूमि का बिक्री किया गया हैं। परन्तु दीपक कुमार राना का नाम से नामान्तरण मुकदमा संख्या–366 / 2015–2016 में कुल रकवा–0.08 एकड़ भूमि का ही नामान्तरण स्वीकृत हुआ हैं।

(2) वर्तमान आवेदित भूमि दीपक कुमार राना, पिता–श्री भूतेश्वर राना नें लखन घोष, अजेम्बर घोष, दोनो के पिता–राय चरण घोष को बिक्री केवाला संख्या–3227, दिनांक– 05 / 03 / 1975 के माध्यम से कुल–0.08 एकड़ यानि–4 कट्‌टा भूमि का बिक्री किया गया हैं। जिसका नामान्तरण अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं।

(3) दीपक कुमार राना, पिता–भूतेश्वर राना ने मन्दाकनी घोष, पति–लखन घोष को बिक्री केवाला संख्या–8113, दिनांक–21 / 12 / 1977 के माध्यम से कुल रकवा–0.07 एकड़ भूमि बिक्री किया हैं। जिसका नामान्तरण संख्या–93 / 1996–97 हैं।

अंचल अधिकारी, चाकुलिया से प्राप्त ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–103 R27 / 2017–18 / चाकुलिया तथा नामान्तरण मुकदमा संख्या–

366/2015–16 में अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी, एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि पंजी–II से मिलान किया, पाया कि मौजा–केरूकोचा, थाना नं0–44, खेसरा सं0–418 में बिक्रेता के नाम पर रकबा शुन्य हैं तथा दखल भी अपीलकर्त्ता का नहीं है। जिसके कारण से अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया हैं।

चुँकि बिक्रेता के नाम पर भूमि का नामान्तरण नहीं हुआ था। इसलिए ऑन लाईन नामान्तरण में उनके नाम पर भूमि शुन्य पाया जा रहा हैं साथ ही अंचल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का भूमि पर दखल भी नहीं हैं।

अतः अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा अस्वीकृत नामान्तरण वाद की आदेश परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं हैं। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को वापस भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–...15.../08/2018 को पारित किया जा रहा हैं।

लेखापित एवं संशोधित

14.8.2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

14.8.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c. of entire ordersheet & s/o c/o o.p. is issued
05/01/18

c.c. of last order is issued.
17/01/19

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.12.02 16:29:41 +05:30
Location: 192.168.1.33